



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर एनडीपीएस एक्ट में अभियुक्त को एक वर्ष का कारावास व 5,000/- रुपये के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना मुस्करा में पंजीकृत मु०अ०सं०-262/24 धारा-8/20 एनडीपीएस एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय ई०सी० एक्ट/ गैंगस्टर एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त रामशंकर पुत्र उदयभान निवासी इलाही तालाब कस्बा व थाना मौदहा हमीरपुर को दोष सिद्ध करते हुए 01 वर्ष का कारावास व 5,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
एडीजीसी प्रवीण सिंह
भदौरिया



विवेचक-
उ०नि० अमर
बहादुर



पैरोकार- थाना मुस्करा
का० ज्ञानेन्द्र सिंह